न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 355/2019 निर्णय दिनांक :– 06.02.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

गोपाल लाल पुत्र गेन्दीलाल जाति खाती निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील देवली जिला टोंक
2. नन्द किशोर पुत्र रामचन्द्र जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
3. राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
4. नारायण पुत्र काना जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
5. परमेश्वर दतक पुत्र मोहन जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
6. शांति बेवा मोहन जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
7. ~~जगदीश पुत्र फुन्दा जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंकर सजस्थान~~

7/1. बद्रीलाल पुत्र स्व. जगदीश जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

7/2. भंवरलाल पुत्र स्व. जगदीश जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

7/3 जसेदा पुत्री स्व. जगदीश जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

7/4. लादी बेवा जगदीश जाति खाती उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

8. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा कोटा रोड़ देवली

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र धारा 136, भू राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्त किये जाने नाम राजस्व रिकॉर्ड

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एव अप्रार्थीगण नं. 2 ता 7 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 98, 99, 100 वाके ग्राम गांवडी पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है व खाता संख्या 89 वाके ग्राम खेडा गांवडी पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है उक्त आराजीयात में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड मुताबिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है एंव अप्रार्थीगण न० 2 ता 7 का भी राजस्व रिकार्ड के मुताबिक संयुक्त रूप से शेष हिस्सा है।

उक्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक भूमि है ओर उक्त आराजीयात में प्रार्थी का नाम सहवन से लाला पुत्र गेन्दीलाल, लाला पिता गेन्दा, लाला पुत्र गेन्दिया अंकित कर दिया गया है जो गलत है प्रार्थी का अन्य भूमि/खाते में राजस्व रिकार्ड में नाम गोपाल लाल जांगीड है एंव अन्य सभी दस्तावेजात में गोपाल लाल जांगीड पुत्र गेन्दीलाल जाति खाती दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजीयात में गोपाल लाल की बजाय लाला दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के अलावा लाला पुत्र गेन्दिया उर्फ गेन्दा उर्फ गेन्दीलाल नाम का अन्य कोई व्यक्तिं नही है एवं प्रार्थी के हिस्से की उक्त वर्णित सयुक्त खातेदारी की भूमि से अन्य कोई व्यक्ति का सरोकार नही है उक्त आराजीयात में प्रार्थी का ही संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र गेन्दिया उर्फ गेन्दा, गेन्दीलाल की बजाय गोपाल लाल पुत्र गेन्दीलाल दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थी के नाम अन्य भूमि एवं सभी दस्तावेजात में समान नाम हो एवं प्रार्थी को उक्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड में लाला होने के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस कारण प्रार्थी का नाम लाला के बजाय गोपाल लाल जांगीड पुत्र गेन्दीलाल निवासी गांवडी दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण नं. 2 ता 7 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 98, 99, 100 वाके ग्राम गांवडी पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है व खाता संख्या 89 वाके ग्राम खेडा गांवडी पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है प्रार्थी का नाम लाला पुत्र गेन्दिया उर्फ गेन्दा उर्फ गेन्दीलाल जाति खाती के बजाय गोपाल लाल पुत्र गेन्दीलाल जाति खाती निवासी गांवडी दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली जो इस प्रकार हैः—वादी का ग्राम गांवडी व खेड़ा गांवड़ी के खाता सं. 98, 99, 100 में लाला पुत्र गेन्दिया नाम दर्ज रिकॉड्ड है। वादी लाला के स्थान पर गोपाल पुत्र गेन्दिया का रिकॉर्ड व सबूत स्वयं सिद्ध करे। वादी का नाम लाला पुत्र गेन्दिया विरासत के नामान्तकरण से दज्र हुआ है। गोपाल पुत्र गेन्दिया का सबूत न्यायालय में पेश करे। बिन्दू नं. स्वीकार नहीं है। बिन्दू नं. 4 व 5 न्यायालय से सम्बन्धित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस से पूर्व प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता ने साक्ष्य शपथ पत्र अप्रार्थी संख्या 4, स्वतंत्र गवाह तेजमल पुत्र मोहनलाल जाति खाती निवासी गांवड़ी, प्रार्थी का शपथ पत्र, अप्रार्थी संख्या 7/1, 7/2 व 7/4 के पेश किये जो प्रार्थी व प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये है

और दोराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। इस बाबत अप्रार्थीगण व स्वतंत्र गवाहाना ने अपने शपथ पत्र पेश किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

तहसीलदार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो अनुसार निर्णय करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी का सही नाम गोपाल लाल जांगीड़ है परन्तु उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र गेन्दीलाल, लाला पुत्र गेन्दा, लाला पुत्र गेन्दिया का अंकन हो रखा है जिसको प्रार्थी ने अपना नाम लाला के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र गेन्दीलाल करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके के खाता संख्या 99 , 98, 100 में लाला पुत्र गेन्दा, गेन्दीलाल, गेन्दिया दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन आधार कार्ड संख्या 357133710172, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी व राजस्थान सरकार द्वारा जारी लाईसेंस में प्रार्थी का नाम गोपाल लाल जांगीड़ पत्र गेन्दीलाल जांगीड का अंकन है। उक्त दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि लाला व गोपाल एक ही व्यक्ति है परन्तु उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र गेन्दिया, गेन्दा, गेन्दीलाल हो रखा है जिसको शुद्ध किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड आराजी खाता संख्या 98, 99 वाके ग्राम गांवड़ी तहसील देवली व खाता संख्या 89 वाके ग्राम खेड़ा गावंड़ी तहसील देवली में दर्ज प्रार्थी का नाम लाला पुत्र गेन्दीलाल, लाला पुत्र गेन्दा, लाला पुत्र गेन्दिया के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र गेन्दीलाल जाति खाती दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/2/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली